रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 61] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 1985/फाल्गुन 22, 1906
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 1985/PHALGUNA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1985

सार्वजनिक सूचना

स प्रतिअदायगी/सा. सू. 6/85

फा स 600/3715/84-प्रतिअदायगी (भाग).—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा. सं. 602/2/70-प्र. अ.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/

सा. सू.-12/84, दिनाक 1 जून, 1984 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

कालम "माल का वितरण" के अधीन उपक्रमांक 3715 के सामने मद (ख) के सामने मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 26-ख (4) के अधीन आने वाली प्लेटें, शीटें, सर्किल, स्ट्रिप और फायल"

2 यह सार्वजनिक सूचना 1 अगस्त, 1984 को लागू हुई समझी जाएगी ।

जे. गोपीनाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th March, 1985

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK|PN-6|85

F. No. 600|3715|84-DBK(Pt.).—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52|F. No. 602|2|70-DBK published in the Gazette of India (Extraordinary), dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK|PN-12|84, dated the 1st June, 1984, namely :—

Against Sub-serial No. 3715, under the column 'Description of goods' for the existing entry against item (b), the following shall be substituted :—

"(b) Plates, sheets, circles, strips and foils, covered by item 26B (4) of Central Excise Tariff".

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st August, 1984.

J. GOPINATH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985